संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 29 जून, 2018 : आषाढ़ कृष्ण 1 वि. 2075

व्यक्ति को परखने में वक्त सबसे बड़ी कसौटी होता है

सेना पर सस्ती राजनीति

यह घोर निराशाजनक है कि कांग्रेस हर मसले पर बोलने और इस क्रम में कुछ भी बेतुका कह देने की अपनी आदत छोड़ नहीं पा रही है। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने अब सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो पर भी अपनी आपत्ति जता दी। अगर कांग्रेस को विभिन्न टीवी चैनलों की ओर से दो साल पुरानी सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो दिखाना रास नहीं आया था तो फिर उसे बेतुकी टिप्पणी करने के बजाय मौन रहना चाहिए था। क्या सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो दिखाए जाने पर यह कहना आवश्यक था कि सरकार सेना के पराक्रम का राजनीतिक फायदे के लिए बेशर्मी के साथ इस्तेमाल कर रही है। क्या दो-चार सप्ताह बाद कहीं चुनाव होने जा रहे हैं जो कांग्रेस इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि सत्तापक्ष को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के इरादे से सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सामने आए? यह समझना भी कठिन है कि कांग्रेस प्रवक्ता इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि मोदी सरकार सेना के प्रति दुराग्रह से भरी हुई है। क्या ऐसा कुछ बोलने के पहले इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता कि देश-दुनिया और खासकर पाकिस्तान में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने दो साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई इस साहसिक और पहली बार सार्वजनिक की गई सैन्य कार्रवाई पर अपने नेता राहुल गांधी के इस बेजा बयान से कोई सबक नहीं सीखा कि प्रधानमंत्री सैनिकों के खून की दलाली कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया था। हालांकि इस अमर्यादित बयान के लिए कांग्रेस की खासी छीछालेदर हुई थी, लेकिन शायद उसके नेताओं को वह याद नहीं रही। दुर्भाग्य से सर्जिकल स्ट्राइक पर सस्ती राजनीति कांग्रेस के साथ-साथ कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी की। कुछ दलों के नेताओं ने तो इस सैन्य अभियान के प्रमाण ही मांग लिए थे। यह एक तरह से वही भाषा थी जो पाकिस्तान बोल रहा था।

विपक्षी राजनीतिक दलों से इसकी अपेक्षा नहीं की जाती और न ही की जानी चाहिए कि वे सत्तापक्ष के कार्यों की सराहना करें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनकी ओर से सेना पर संदेह जताने का भी काम किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करके ठीक ऐसा ही किया गया। कायदे से तो सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सामने आने के बाद उन नेताओं को शर्मिंदा होना चाहिए था जिन्होंने उस पर संदेह जताते हुए बेजा बयान दिए थे, लेकिन लगता है कि वे अपनी भयंकर भूल को भी बड़ी आसानी से भुला देते हैं। क्या यह अजीब नहीं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब उस पर सवाल खड़े किए गए और जब उसके वीडियो सामने आ गए तो यह कहा जा रहा है कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी? यह सवाल वे लोग न उठाएं तो बेहतर जो सर्जिकल स्ट्राइक पर बेतुके बयान दाग रहे और इस क्रम में उसे फर्जिकल स्ट्राइक तक करार दे रहे। यह सही है कि राजनीतिक दल बात-बिना बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि वे मर्यादा में रहना भी सीखें। इससे उनका ही भला होगा।

पुलिस पर सख्ती

सरकार की सख्ती के बाद अपराधियों पर पुलिस की नकेल जब प्रभावी साबित होने लगी है तो दूसरी समस्या भी उठ खड़ी हुई है। यह है पुलिसकर्मियों का बढ़ता दुर्व्यवहार। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उनके परिवार की महिलाओं से अभद्रता की लगातार शिकायतें आने के बाद सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है। यह तक कह दिया गया है कि जघन्य अपराध के आरोपितों को छोड़कर पुलिस सामान्य अपराध के आरोपित/वारंटी के घर रात में दबिश न दे। सिविल मामलों में भी रात में दबिश न दी जाए। दरअसल, चार दिन पहले लखनऊ में चेक बाउंस मामले में एक ठेकेदार के घर वारंट तामील कराने पहुंची पुलिस ने परिवार की महिलाओं से बदसलूकी की थी। यह सही है कि योगी सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, लेकिन यह अपराध और अपराधियों पर अंकुश के लिए है। इसकी आड़ में पुलिस को उदंडता करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी घटनाएं इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि पुलिस को जहां अपराधियों के प्रति सख्त रुख अपनाना था, वहीं उसे मित्र पुलिस की भी भूमिका निभानी थी। साथ ही उसकी हरकतों से बेवजह किसी को परेशानी न हो इस बात का भी ध्यान रखना था, लेकिन पुलिस ने योगी सरकार के उद्देश्य की मूल भावना को ही बिसरा दिया।

गुडवर्क के प्रयास में पुलिस कई ऐसी हरकतें भी कर रही है, जो पुलिस और सरकार दोनों की छवि खराब करती है

गुडवर्क के प्रयास में पुलिस कई ऐसी हरकतें भी कर रही है, जो पुलिस और सरकार दोनों की छवि खराब करती है। सच तो यह है कि पुलिस विभाग की पूरी कार्यप्रणाली से सरकार या पुलिस के मुखिया पूरी तरह परिचित हैं। बावजूद इसके पुलिसकर्मियों के बीच यह स्पष्ट संदेश नहीं पहुंच पाया है कि किन मामलों में उन्हें क्या करना है और क्या नहीं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या विजय माल्या द्वारा बैंकों का बकाया चुकाने के संकेत कानूनी सख्ती का नतीजा है?

आज का सवाल

क्या यूजीसी की जगह उच्च शिक्षा आयोग बनाने से शिक्षा के मोर्चे पर स्थिति में सुधार होगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भारत को बदनाम करती एक रिपोर्ट

विवेक काटजू

यूएन मानवाधिकार परिषद के सदस्य देश इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जैद ने भारत की संप्रभुता को नकारते हुए अपने अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर काम किया है

जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र की हालिया मानवाधिकार रिपोर्ट विवादों के साये में है। 14 जून को जारी हुई 49 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त जैद राद हुसैन ने तैयार किया है। इसमें अगस्त 2016 से अप्रैल 2018 के बीच जम्मू-कश्मीर के साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी मानवाधिकारों की स्थिति का संज्ञान लिया गया है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए जैद ने जम्मू-कश्मीर और पीओके का दौरा करने के लिए भारत और पाकिस्तान से अनुमति मांगी थी। भारत सरकार ने उन्हें अनुमति न देकर एकदम सही किया, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की जैद की पहल भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ही थी। पाकिस्तान ने जैद से कहा कि वह उन्हें तभी इजाजत देगा जब भारत से भी उन्हें इसकी अनुमति मिलेगी। भारत के रुख पर अपना फैसला करने की पाकिस्तान की इस रणनीति से उसका व्यवहार किसी स्वतंत्र सोच वाले देश जैसा नहीं लगता। बहरहाल किसी देश से अनुमति न मिलने के बावजूद जैद ने अपनी मुहिम बढ़ाई। उन्होंने मीडिया में आई खबरों, बयानों और संभवतः किसी तीसरे देश में हुई कुछ बैठकों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट तैयार करने का गलत तरीका है, क्योंकि इससे संदेह बना रहता है कि रिपोर्ट की सामग्री भरोसेमंद है या नहीं? इससे पक्षपातपूर्ण रपट ही तैयार हो सकती है। जैद ने बिल्कुल यही किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इसमें वही आरोप दोहराए गए हैं जो भारत विरोधी तत्व और पाकिस्तान उछालते रहते हैं। रिपोर्ट में आरोप मढ़ा गया है कि सुरक्षा बल निर्दोष लोगों पर अत्याचार और महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं। इसमें सरकार को भी आड़े हाथों लिया गया है कि वह दोषी सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। अफस्पा कानून और पैलेट गन के इस्तेमाल की भी तीखी आलोचना करते हुए कहा गया है कि सरकार ने सुरक्षाकर्मियों के मामले में एक भी अभियोजन को मंजूरी नहीं दी है। ऐसे मिथ्या आरोप वाली जैद की रिपोर्ट में उन मुश्किल हालात की अनदेखी हुई है जिनमें बीते तीन दशकों के दौरान सीमा पार आतंक के चलते सुरक्षा बलों की चुनौती और कड़ी हुई है। अपने पूर्वाग्रह जाहिर करते हुए जैद ने जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी समूहों को 'हथियारबंद समूह' कहा है। जबकि खुद संयुक्त राष्ट्र लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों की सूची में डाल चुका है। खुद संयुक्त राष्ट्र के तथ्यों को नजरअंदाज करने वाली जैद की रिपोर्ट अपने आप ही संदिग्ध बन जाती है। हैरत है कि वह अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत कुछ परिस्थितियों में हथियारबंद समूह वैध माने जाते हैं जैसे उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में, लेकिन आतंकी समूहों को कभी वैधता नहीं मिलती। रिपोर्ट में उल्लेख है कि ये हथियारबंद समूह नागरिकों के साथ ज्यादती करते हैं, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया कि वे पाकिस्तान की शह पर ऐसा करते हैं जो कश्मीर में समस्याओं की प्रमुख जड़ है। रिपोर्ट में यह तो कहा गया है कि पीओके में सरकारी तंत्र नागरिकों को कोई अधिकार नहीं देता, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़े मानवाधिकारों को कहीं ज्यादा गंभीर बताया गया है। जैद ने इस पहलू का संज्ञान ही नहीं लिया कि पीओके के लोगों को कभी कोई अधिकार मिले ही नहीं और उन्हें हमेशा खौफजदा रखा गया। साफ है कि वह पाकिस्तान की बेहतर छवि दिखाना चाहते थे।

अवधेश राजपूत

जैद ने मानव अधिकार परिषद से गुहार लगाई है कि 'कश्मीर में मानव अधिकारों के आरोपों की व्यापक, स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय पड़ताल के लिए एक जांच आयोग का गठन किया जाए।' परिषद में 47 सदस्य देश हैं जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। कोई भी देश लगातार दो बार से ज्यादा इसका सदस्य नहीं रह सकता। एक कार्यकाल तीन साल का होता है। भारत 2011 से 2017 तक लगातार दो बार इसका सदस्य रह चुका है। दूसरी ओर पाकिस्तान फिलहाल इसका सदस्य है। उसने स्वाभाविक रूप से इसका स्वागत किया है। तय है कि वह जैद के प्रस्ताव का समर्थन भी करेगा।

भारत ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज करके एकदम सही किया। सरकार ने इसे पक्षपातपूर्ण एवं पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताते हुए कहा कि रिपोर्ट में सीमा पार आतंक की अनदेखी की गई है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसका कुछ हिस्सा अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। यह इसी बात का संकेत था कि भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर सरकार का समर्थन कर कांग्रेस पार्टी ने परिपक्व प्रतिक्रिया दी। देश की संप्रभुता से जुड़े मसलों पर ऐसी एकता बेहद जरूरी है। हालांकि बाद में कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने इस बात के लिए सरकार को आड़े हाथ भी लिया कि उसने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त को ऐसी रिपोर्ट छापने ही कैसे दी? इस परिषद के सदस्यों को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने जैद की सिफारिश को स्वीकार कर लिया तो भारत के राजनीतिक वर्ग के साथ-साथ देश की जनता भी उनके फैसले के खिलाफ खड़ी होगी। ध्यान रहे कि हाल में अमेरिका इजराइल के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर इस परिषद से बाहर हो गया है। यह जरूरी तो है कि भारतीय राजनयिक परिषद के सदस्यों के साथ संवाद करें, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं। इसके आसार कम ही हैं कि परिषद के सदस्य अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग मानेंगे। आज दुनिया में भारत की बड़ी हैसियत है और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से भी भली-भांति वाकिफ है जो जम्मू-कश्मीर में कायम समस्याओं का मूल कारण है। कुछ देश कदम उठाएंगे तो भारत के साथ उनके रिश्ते प्रभावित होंगे। निजी तौर पर कुछ देश शायद भारत को रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाने की सलाह देंगे।

मानवाधिकारों का सम्मान और प्रोत्साहन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एजेंडे में होना चाहिए, मगर वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जैद ने भारत की संप्रभुता को नकारते हुए अपने अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर काम किया है। जैद जैसे अधिकारी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वामी नहीं, बल्कि सेवक ही हैं। जैद अपने काम को लेकर स्वच्छंद नहीं हो सकते। उन्हें यह पता होना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक तंत्र बना हुआ है। स्वाभाविक रूप से देश यही अपेक्षा करता है कि उकसावे की तमाम कार्रवाई के बावजूद सुरक्षा बल संयम एवं अनुशासन के उच्च मानकों का पालन करें। जैद की रिपोर्ट में कश्मीरी पंडितों को राहत देने की भी सिफारिश की गई है। आखिरी सिफारिश भारत और पाकिस्तान द्वारा वहां जनमत संग्रह कराने की है। यह बेहद बेतुकी बात है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लोग पूरी तरह भारतीय हैं। संविधान से उन्हें सभी अधिकार मिले हैं। जैद के प्रस्ताव उनके भारत विरोधी रुख को ही दर्शाते हैं।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

सरदार पटेल के खिलाफ बेजा विचार

प्रो. मक्खन लाल

सोज साहब जैसे लोगों को चाहिए कि इतिहास पर लिखते समय ऐतिहासिक दस्तावेजों पर भी एक नजर डाल लिया करें

इन दिनों कश्मीर के कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज की किताब-'कश्मीरः ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल' चर्चा में है। इसमे उन्होंने लिखा है कि अनुच्छेद 370 सरदार पटेल की देन है और पटेल तो हैदराबाद के बदले कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थे और यह तो पंडित नेहरू थे जो राजी नहीं हुए। आनन-फानन कुछ लोगों ने बिना तथ्यों की जांच-पड़ताल किए यह दोहरा दिया कि सोज सही कह रहे हैं। बेहतर होता कि सोज और उनके ऐसे लेखन से सहमति जताने वाले थोड़ी छानबीन कर लेते। यह मुश्किल काम नहीं था। इस सिलसिले में 13 खंडो में छपे सरदार पटेल के पत्राचार का पहला खंड ही पर्याप्त है। यह पूरा खंड कश्मीर समस्या को समर्पित है। इस खंड में 1945-46 से लेकर 1950 तक पटेल, नेहरू, महाराजा, गोपालस्वामी आयंगर, शेख अब्दुल्ला आदि के बीच हुए मूल पत्राचार संकलित हैं। इस खंड के आधार पर हम यह बहुत आसानी से कह सकते हैं कि कश्मीर समस्या के लिए लगभग पूरी तौर पर जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला ही जिम्मेदार हैं। आम धारणा है कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेजों पर समय रहते हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की है कि सच्चाई क्या है? नेहरू ने महाराजा को जैसे पत्र लिखे और जिस तरह उन्हें अपमानित किया उससे वह तो क्या, कोई छोटा-मोटा जमींदार भी संशय से घिरा होता।

जब संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था तब 29 सितंबर 1948 को शेख अब्दुल्ला ने एक पत्रकार वार्ता में जम्मू-कश्मीर को एक स्वतंत्र देश कहा। पटेल ने यह पढ़ने के बाद 30 सितंबर को नेहरू को पत्र लिखा, ''शेख अब्दुल्ला ने कल दिल्ली में पत्रकार वार्ता में जो कुछ कहा उसे पढ़कर हैरान हूं। शेख साहब ने भारत के कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र किया है जो कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वे कौन लोग हैं? जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसे जितने लोग कश्मीर में हैं उतने पूरे भारत में मिलाकर भी नहीं हैं।'' सरदार पटेल ने गोपालस्वामी आयंगर को भी पत्र लिखा। सरदार पटेल के गुस्से को ध्यान में रखते हुए नेहरू और आयंगर लीपापोती के साथ अब्दुल्ला के बचाव में लग गए। नेहरू ने पटेल को लिखा, ''मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं...अब्दुल्ला अच्छे विचारक नहीं हैं और अक्सर बोलते समय हमारे और नेताओं की तरह बहक जाते हैं।'' पटेल की प्रतिक्रिया जानने के बाद अब्दुल्ला ने 30 सितंबर को ही उन्हें पत्र लिखकर यह सफाई दी कि मुझे समझने में पत्रकारों से भूल हुई है। पटेल उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने जवाबी पत्र लिखा, ''आप अकेले ऐसे इंसान हैं जो न केवल बहुत से लोगों, बल्कि जवाहरलाल, गोपालास्वामी और मेरे द्वारा भी गलत समझ लिए जाते हैं।''

अक्टूबर 1948 के बाद शेख अब्दुल्ला ने स्वतंत्र कश्मीर की मांग का शोर और भी तेज कर दिया। उन्होंने विभाजन के बाद पाकिस्तान गए लोगों को भारत आने का आह्वान किया। एक विदेशी पत्रकार को दिए गए साक्षात्कार में अब्दुल्ला ने कहा, ''किसी देश में कश्मीर का विलय शांति नहीं ला सकता। हम चाहते हैं कि न केवल भारत और पाकिस्तान, बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के अन्य देश यह सुनिश्चित करें कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश बने। ... संयुक्त राष्ट्र की गारंटी ही इस मामले को निपटा सकती है।'' शेख के इस कथन से सभी हतप्रभ थे। यहां तक कि गोपालस्वामी भी जो हमेशा शेख का पक्ष लेते थे। गोपालस्वामी ने पटेल को पत्र लिखा, ''मैं शेख के बयान की पुरजोर भर्त्सना करता हूं। ...मुझे लगता है इसमें कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का कोई खेल छिपा हुआ है, जिसमें शेख खुद शामिल हैं।...इसकी अंतिम परिणति इतिहास में सबसे बड़ी गद्दारी के रूप में होगी।''

जब संविधान निर्माण का काम अंतिम चरण में था तब तक कश्मीर को लेकर एक मसौदा तैयार किया जा चुका था। इस मसौदे को नेहरू, पटेल, गोपालस्वामी, डॉ. आंबेडकर, महाराजा हरि सिंह, शेख और उनके तीन साथियों ने तैयार किया। इस मसौदे को अनुच्छेद 306 के नाम से जाना गया। इस अनुच्छेद को संविधान सभा ने स्वीकार कर पास भी कर दिया, परंतु श्रीनगर पहुंचकर शेख ने पूरे मसौदे को खारिज करते हुए मांग की कि हम बाकी और राज्यों के बराबर नहीं रह सकते। हमें अलग दर्जा चाहिए। गोपालस्वामी ने अत्यंत दुःख से पटेल को पत्र लिखा, ''आपके घर पर सभी की उपस्थिति में शेख और उनके साथियों ने मसौदे को सहमति दी थी। हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि मुझे और पंडित जी को इस तरह नीचा दिखाया जाएगा।'' इसके बाद तो कहानी और भी दर्दनाक मोड़ ले लेती है। गोपालस्वामी ने 15 अक्टूबर 1949 को सरदार पटेल को कश्मीर के बारे में उनकी सहमति के लिए एक नया मसौदा एक चिट्ठी के साथ भेजा। इसमें लिखा था, ''इस नए मसौदे में मूलतः वही बातें हैं जो पहले वाले में थीं। थोड़ा-बहुत हेर-फेर किया गया है, इस उम्मीद में कि यह शेख और उनके साथियों को स्वीकार होगा।''

नए मसौदे को पढ़कर पटेल दंग रह गए। जिसे गोपालस्वामी छोटा-मोटा परिवर्तन बता रहे थे वह तो कुछ और था। पटेल ने गोपालस्वामी को पत्र लिखा, ''मैंने पाया कि मूल मसौदे में बहुत ही गंभीर बदलाव किए गए हैं। मुख्यतः नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने को लेकर। आप इसकी गंभीरता इससे समझ सकते हैं कि कोई राज्य भारत का हिस्सा है, लेकिन संविधान के सिद्धांतों को नहीं मानता। मुझे मूल मसौदे में किसी तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है... मैं इस मसौदे पर अपनी सहमति नहीं दे सकता। आप लोग जो चाहे करें।'' इस तरह सरदार पटेल के विरोध के बावजूद यह मसौदा अनुच्छेद 370 के रूप में संविधान में घुसा दिया गया और वह भी बिना संविधान सभा की अनुमति के। जब पटेल के तमाम साथियों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया तो आदत के मुताबिक उनका संक्षिप्त जवाब था- जवाहर रोएगा। किसे पता था कि नेहरू तो रोएंगे ही, उनके बाद की पीढ़ी भी कश्मीर को रोएगी। अच्छा होगा सोज साहब जैसे लोग इतिहास की घटनाओं पर लिखते समय ऐतिहासिक दस्तावेजों पर भी एक नजर डाल लिया करें। उन्हें यह भी समझना होगा कि अनुच्छेद 370 का समावेश संविधान में अस्थाई तौर पर किया गया था। विडंबना यह है कि इसे हटाने के बजाय और व्यापक बनाने की बात की जाती है। शायद इसी कारण हम इस पर बात नहीं करते कि आखिरकार यह अनुच्छेद संविधान में आया कैसे?

(लेखक इतिहासकार एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रेम

प्रेम बहती नदी है, बंद तालाब नहीं। इसे परमार्थ के महानद में मिलने दें। स्वार्थ के संपुट में बंद प्रेम महज प्रेमाभास है। प्रेम ऊपर चढ़े तो भक्ति है और नीचे गिरे तो आसक्ति। प्रेम रागात्मक है, वासनात्मक नहीं। हमारा सारा प्रेम शुभ के लिए होना चाहिए। हम व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, उसमें निहित आदर्श से प्रेम करते हैं। पति या पत्नी शरीर से प्रेम नहीं करते, उसमें निहित आत्मा से प्रेम करते हैं। परमात्मा को धर्मालयों में बंद न करें। उसे सर्वत्र प्रेम के रूप में खिलने दें। बंद फूल मुरझा जाता है। उसे उपवन की खुली हवा में खिलखिलाने दें।

यदि आप जीवन में ऊंचाई को नापना चाहते हैं तो उपवन में खिले-फूलों को देखें, जो खिलता है दूसरों को सुख देने के लिए और स्वयं मुरझाने के लिए। फूल कंटीली झाड़ी में भी मुस्कराता रहता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? साधु की साधुता में ही प्रेम को मत देखें, बल्कि दुष्ट की दुष्टता में भी प्रेम को निहारने की साधना करें। जब तक बंदा और खुदा के बीच खुदी का पर्दा है, तब तक खुदा का दीदार नहीं। प्रेम निश्छल होना चाहिए। वह चाहे सांसारिक प्रेम हो या परमार्थिक प्रेम। प्रेम में प्रतिदान की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। प्रेम के आगे मुक्त भी निरादृत है। प्रेम-प्रेम के लिए होना चाहिए। यह भाव भी नहीं होना चाहिए कि वह प्रेम कर रहा है। प्रेम में केवल देना ही देना है, लेना कुछ भी नहीं।

प्रेम को तिजारत मत बनने दें। प्रार्थना का असली मंतव्य परमात्मा से किसी प्रकार की याचना नहीं है। अहंकार वह बाधक तत्व है, जो दैवी प्रेम को मनुष्य के भीतर उतरने ही नहीं देता। परमात्मा प्रेम है। उसे निश्छल प्रेम ही चाहिए। सूर्य प्रेमवश जीवनदायिनी किरणें विसर्जित करता है। मेघ भेद-भाव के बगैर सभी के खेतों में बरसता है। नदी प्यास मिटाने के लिए निरंतर बहती है। वृक्ष, फल लुटाने के लिए झुक जाते हैं। हवा जीवन देने के लिए बहती ही रहती है। इस प्रेम के बदले वह हमसे कुछ नहीं चाहते, परंतु हम लोग भ्रांत सुख की खोज में निर्ममता से इन सब का दोहन करते रहते हैं। इस संकट से बचने के लिए हमें अपने को सब के साथ प्रेम के बंधन में बंधकर चलना होगा, अन्यथा हमारा ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही 'दैवीय प्रेम' का सार है। इसी प्रेम को जीवन में आत्मसात करके ही हम अपने खुशियों के संसार का विस्तार कर सकते हैं।

डॉ. दुर्गादत्त पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

एकतरफा विचार

झूठ का पहाड़ खडा करने की कोशिश शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रदीप सिंह ने आपातकाल पर एकतरफा विचार रखते हुए सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा है। सबसे पहले तो यह कहना उचित होगा कि आज हमारे देश की राजनीति तो टिकी ही झूठ और फरेब पर है। गर ऐसा नहीं होता तो आज हमारा देश विभिन्न समस्याओं के मकड़जाल में न उलझा होता। सबको बस अपनी कुर्सी और अपने स्वार्थ की चिंता है। इंदिरा गांधी का आपातकाल का फैसला बेशक लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर था। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल हटाने की घोषणा की थी, तब जनता ने आम चुनाव में उन्हें यह सबक भी सिखाया था कि लोकतंत्र में तानाशाही को आम जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मौजूदा दौर के सत्ताधारी आपातकाल से कितना सबक लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना कितना योगदान दे रहे हैं? अंत में यह भी कहना उचित होगा कि कानून और मीडिया लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ और नींव हैं, इस पर किसी भी सत्ताधारी का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए कानून को निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के फैसले लेने चाहिए और मीडिया को भी इसी राह पर चलना चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी आपातकाल की स्थिति अपने आपको न दोहरा पाए।

raju09023693142@yahoo.com

भारत में महिला सुरक्षा

हाल में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। यह रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर है। इसमें भारत को बदनाम करने की साजिश नजर आ रही है। सरकार को इस तरह की रिपोर्टों पर पाबंदी लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह हाल की एक दो घटनाओं को दुनियाभर के सामने पेश किया गया, जिससे लगा कि महिलाओं के लिए भारत से ज्यादा असुरक्षित देश दुनिया में कोई नहीं है। सिर्फ एक दो मामले से नहीं, हमें पूरे आंकड़े के साथ बात करनी चाहिए।

नीरज झा, दिल्ली विवि

कानून के इतर प्रयास

देश में चाहे लोकसभा चुनाव हो या राज्यों में विधान सभा के चुनाव, हर राजनैतिक पार्टी के घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा को स्थान जरूर मिलता है, लेकिन चुनाव के बाद महिला कितनी सुरक्षित रहती हैं यह लोग अच्छी तरह जानते हैं। सरकार ने महिला अपराध रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं, लेकिन ये कानून अपराध रोकने में कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। महिला अपराध रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए।

दीपक गौतम, सोनीपत

आपातकाल का दर्द

हाथ में सत्ता आते ही मति भ्रष्ट हो जाना और बिना सोचे समझे अपने स्वार्थ के लिए कोई फैसला लेना बहुत हानिकारक होता है। भारत इसका अनुभव 25 जून 1975 को आपातकाल लागू होने पर झेल चुका है। सत्ता खोने के डर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू कर दिया था। अपने निजी स्वार्थ की रक्षा के लिए उन्होंने लोकतंत्र का हनन किया। इससे पूरे देश को मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा था। उसे याद कर भाजपा ने आपातकाल की बरसी मनाई। वहीं दूसरी पार्टियां केंद्र सरकार पर अघोषित आपातकाल का आरोप लगा रही हैं, जबकि कई पार्टियों के नेता खुद आपातकाल के शिकार हुए हैं।

archanagitakeshri@gmail.com

आयुष्मान भारत योजना

देश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जहां संसाधनों का अभाव है, वहीं निजी अस्पतालों की फीस इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी उसे वहन नहीं कर सकता है। येह देश का दुर्भाग्य कि ग्रामीण क्षेत्रों में ढूंढ़ने से भी निजी अस्पताल नहीं मिलेंगे। हां, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर कहीं-कहीं मिल जाएंगे, लेकिन खंडहर में तब्दील बगैर बिना संसाधन के। अब केंद्र सरकार गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है। इसमें देश की लगभग आधी आबादी को इलाज के लिए पांच लाख की आर्थिक सहायता सुनिश्चित की गई है। यह योजना कितनी सफल होती है, लागू होने के बाद पता चलेगा।

पिंटू सक्सेना, दिल्ली

अपार संभावनाएं

हाल ही में 10वीं के परिणाम में बहुत सारे छात्र अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए, तो बहुत सारे छात्र असफल भी हुए। कम अंक प्राप्त होने या असफल होने की वजह से बहुत सारे छात्रों को निराशा हुई। ऐसे बच्चों को समझना चाहिए कि इतिहास वही रचते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी-बड़ी असफलताओं से संघर्ष कर उसे जीता है। हम थोड़ी सी असफलता से घबरा जाते हैं। जीवन में असफलता हमें अंदर से मजबूत बनाने का काम करती है। हमारी एक असफलता से जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी में तो अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते संघर्ष के मैदान में डटे रहें।

ankitkr398@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

यह कैसी नजर है कि एक व्यक्ति का मजार पर जाना नहीं दिखता, लेकिन मौलवी के हाथों टोपी न पहनना दिख जाता है? मुस्लिम महिलाओं के घर तक सिलेंडर पहुंचाना या तीन तलाक पर उनके साथ खड़ा होना नहीं दिखता, लेकिन टोपी नहीं पहनना दिख जाता है? नीयत देखिएगा या टोकनिज्म?
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

बच्चों के खिलाफ अपराध मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बच्चों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाने के लिए मैंने निक्की हेली से राह तलाशने के लिए कहा है। मुझे यकीन है कि अपने साझा मूल्यों और प्रतिबद्धताओं से हम बाल तस्करी पर विराम लगा पाएंगे। कैलाश सत्यार्थी@k_satyarthi

शुजात बुखारी की हत्या में कुछ लोग भारतीय एजेंसियों के हाथ होने का शिगूफा छेड़ रहे थे उन्हें मालूम पड़ा होगा कि इसके पीछे कौन था। इसकी आड़ में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले क्या अब इसके साजिशकर्ता पाकिस्तान की निंदा करेंगे। आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

कृषि कर्मण अवार्ड का ढोल पीटने वाले शिवराज सिंह जी की सरकार में अन्नदाता अपनी फसल के भुगतान के लिए भी परेशान हो रहे हैं। अकेले श्योपुर जिले में चना बेचने वाले 600 किसानों के करीब 27 करोड़ रुपये अटके पड़े हैं। तो यह है स्वर्णिम मध्य प्रदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया@JM_Scindia

जनपथ

मगहर अपने आप में संदेशों की खान,
बुद्धिमान समझें इन्हें मूढ़ रहें अनजान।
मूढ़ रहें अनजान हाथ बस लगे निराशा,
है इतनी आसान नहीं कबिरा की भाषा।
समझा जो संदेश कहीं भी जाएगा तर,
वरना भटको आप रहो काशी या मगहर!
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 345